22.12.23 अप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी मूल वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रा. पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पूर्व में दिनांक 21.12.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित बिश्नोई)
RAS